

प्रेषक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में, प्रबंधक
वालिया ग्लोबल एकेडमी प्रा0स्कूल, मनोहरवाला, ब्लॉक-नजीबाबाद
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 2049 / 2009-10

दिनांक 14/7/09


विषय:- विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के सम्मक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1-विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु एक ही वर्ग होगा।
- 2-विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0, नर्सरी आदि का संचालन न किया जाये।
- 3-विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता का पूर्णतः पालन किया जाये।
- 4-विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने अत्यावश्यक है।
- 5-छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाये।
- 6-विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
- 7-विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही शिक्षा दी जाये।
- 8-विद्यालय में समस्त अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जाये।
- 9-विद्यालय में निर्धारित माप (20'x25') के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
- 10-यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नहीं होगा।
- 11-स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विद्यालय का अपना निजी भवन एवं समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होना तथा भवन में समस्त कमरे पक्के निर्धारित माप (20'x25') के पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि उक्त निर्देशों/विभागीय आदेशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

भवदीय


(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर


पृ0सं0 बेसिक/

/ 2009-10


तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
- 2-संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।


PRINCIPAL
WALIA GLOBAL ACADEMY
NAJIBABAD (BJNOR)

(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।



प्रबंधक
वालिया ग्लोबल एकेडमी
प्रा0 विद्यालय मनोहरवाला
बिजनौर

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक

वालिया ग्लोबल एकेडमी जूनियर हाई स्कूल, मनोहरवाला, ब्लाक-नजीबाबाद
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/9612-16 /2009-10

दिनांक 31/03/10

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18-एस(7)/89 दि० 11.05.1992 एवं शासनादेश सं० 2681/15-6-95-18 एस(7)/89 दि० 18.01.1996 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक: बे०शि०प०/सामान्य-5 /21716-22019/ 96-97 दि० 10.02.1997 एवं शासनादेश संख्या 1528/79-6-2008 दि० 20 जुलाई, 2009 में दिये गये निर्देशानुसार विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 एवं विद्यालय में अग्निसुरक्षा के उपाय होने के कारण आपके विद्यालय को कक्षा-6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

- 1-प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।
- 2-विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के०जी०, नर्सरी, प्राईमरी, कक्षा-9, 10 आदि का संचालन न किया जाये।
- 3-विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाये।
- 4-विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने अत्यावश्यक है।
- 5-छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाये।
- 6-विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
- 7-विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही शिक्षा दी जाये।
- 8-विद्यालय में प्रशिक्षित समस्त अध्यापक/अध्यापिकायें ही नियुक्त किये जाये।
- 9-विद्यालय में निर्धारित माप (20'x25') के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
- 10-यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नहीं होगा।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे :-

प्रधानाध्यापक-	एक पद
सहायक अध्यापक-	चार पद
लिपिक-	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट/गणित/विज्ञान अध्यापक सम्मिलित माने जाये।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषद कार्यालय भवदीय

Shyam

PRINCIPAL
WALIA GLOBAL ACADEMY
NAJIBABAD (BIBINOR)

Ramesh

प्रबंधक
वालिया ग्लोबल एकेडमी
प्रा० नि.मान्य मनोहर वाला
नजीबाबाद, बिजनौर (बिजनौर)
/2009-10 तददिनांक।

V. Singh
(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 3-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
- 4-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।